राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाऐं
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांकः–एफ.11(7)मो./राज. सम्पर्क टयूर/आईसीडीएस/09/1[illegible]47-39 जयपुर, दिनांकः 12-1-18

1. समस्त जिला प्रभारी अधिकारी, मुख्यालय।
2. समस्त उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग।
3. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी।

विषयः–दौरे, निरीक्षण एवं रात्रि विश्राम इत्यादि के लक्ष्य एवं क्रियान्विति राजस्थान सम्पर्क पोर्टल के ट्यूर मॉडूल्स में अंकित करने बाबत।

प्रंसगः–निदेशालय के पूर्व आदेश दिनांक 25.05.17 एवं पत्र दिनांक 06.07.17 एवं दिनांक 07.09.17 एवं दिनांक 11.10.17 एवं 182581–928 दिनांक 21.11.17

विषयान्तर्गत प्रकरण में प्रांसगिक पत्रों द्वारा प्रशासनिक सुधार विभाग के आदेश दिनांक 15.03.2017 एवं तदूपरान्त जारी निर्देशों के अनुसरण में अधिकारियो के दौरे, निरीक्षण एवं रात्रि विश्राम इत्यादि का विवरण तथा निरीक्षण रिपोर्ट राजस्थान सम्पर्क पोर्टल के ट्यूर मॉडूल्स पर अनिवार्यतः दर्ज करने के निर्देश दिये गये है।

लेकिन विभागीय अधिकारियों द्वारा माह दिसम्बर 2017 तक निर्धारित समयावधि में दौरे, निरीक्षण एवं रात्रि विश्राम के तय लक्ष्यों के अनुरूप क्रियान्विति राजस्थान सम्पर्क पोर्टल के ट्यूर मॉडूल्स पर पर न्यून/शुन्य अंकित नहीं की गई है जो कि गम्भीरता एवं राज्यादेश की अनदेखी व अवहेलना करने का विषय है।

अतः सभी विभागीय अधिकारियों को पुनः अवगत करवाया जाता है कि उन्हें आंवटित लक्ष्यों के अनुरूप क्रियान्विति तय समयानुसार अंकित कराना सुनिश्चित करें। साथ ही सभी जिलो के उप निदेशक अपने स्वयं एवं अधिनस्थ अधिकारियों के दौरे, निरीक्षण एवं रात्रि विश्राम इत्यादि को सम्पर्क पोर्टल पर अपलोड करवाने एवं पालना कराने की कार्यवाही प्रतिमाह सुनिश्चित करेगे अन्यथा संबंधित अधिकारीगण के साथ–साथ आपकी भी व्यक्तिगत जबावदेही होगीं।

कृपया इसे सर्वोच्च्य प्राथमिकता देवें।

उप निदेशक (प्रशिक्षण)
समेकित बाल विकास सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः–एफ.11(7)मो./राज. सम्पर्क टयूर/आईसीडीएस/09 जयपुर, दिनांकः 12-1-18

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर एवं उप निदेशक, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

उप निदेशक (प्रशिक्षण)